98 क़ज़ा व क़द्र

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं।

अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आपकी आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।

व बअद!

'क़द्र' से मुराद अल्लाह तआला का चीज़ों को उनके वजूद में आने से पहले उनका जानना है। जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है और जिस तरह होने वाला है। इन सब बातों को वह पहले से अच्छी तरह जानता है। यह सारी बातें उसकी ख़ूबियों में से हैं और अल्लाह की तक़दीर के मआनी में शामिल हैं।

तक़दीर का तअल्लुक़ चुंकि ग़ैब की बातों में से है। इसलिए उसकी खोज बीन की कोशिश भी इन्सान को नहीं करना चाहिये। सहाबा रज़ि. भी तक़दीर की बहस में नहीं पड़ते थे।

इन्सान के लिए यही काफ़ी है कि वह उन सब बातों पर यक़ीन रखे जिनकी ख़बर अल्लाह ने दी है। जैसे सारी मख़लूक़ की पैदाइश, हर चीज़ का उसे पहले से इल्म होना, हर चीज़ पर उसकी क़ुदरत होना और यह कि वह जो चाहता है, कर गुज़रता है। इमाम अहमद रह से जब तक़दीर के बारे में पूछा गया तो आप रह. ने फ़रमाया "तक़दीर रहमान की क़ुदरत है।" इब्ने हजर अस्कलानी रह. ने फ़त्हुल बारी में इमाम समआनी का यह क़ौल नक़ल किया कि 'क़ज़ा व क़द्र' का जानना क़ुरआन व हदीस पर मौक़ूफ़ है न कि अक़्ल व क़यास पर। लिहाज़ा जो शख़्स इन पर भरोसा नहीं करेगा वह हैरानी व परेशानी की हालत में भटकता रहेगा और कभी मुतमइन न हो सकेगा।

रहा लफ़्ज़ 'क़ज़ा' तो इसका इस्तेमाल किसी काम को पूरा करने के मआनी में होता है। इस तरह 'क़ज़ा व क़द्र' के मआनी हुए "अल्लाह ने पक्की मन्सूबा बन्दी (सही अन्दाज़ों) के तहत कायनात को बनाया और ऐसे कानून बनाए जिनमें बदलाव नहीं होता।" जैसा कि इर्शादे बारी है "उसने हर चीज़ को पैदा किया और उसकी एक तक़दीर तय कर दी।" **(फ़ुरक़ान–आयत–02)**

अल्लाह जानता है हर औरत के हमल को और जो कुछ उसकी कोख में घटता–बढ़ता है उसे भी और हर चीज़ उसके हां एक अन्दाज़े के मुताबिक़ है।" **(रअद–आयत–8)** "और हमने आसमान से एक ख़ास अन्दाज़े के मुताबिक़ पानी उतारा।" **(मुअमिनून–आयत–18)** "अगर अल्लाह अपने सब बन्दों के लिए रिज़्क़ को बढ़ा देता तो वह ज़मीन में सरकशी करते। लेकिन अल्लाह एक अन्दाज़े से जितना चाहता है रिज़्क़ उतारता है। वह अपने बन्दों की ख़बर रखता है। और उन पर निगाह रखे हुए हैं। **(शूरा–आयत–27)** "क्या हमने तुम्हें एक हक़ीर पानी से पैदा नहीं किया? फिर हमने उसे एक तय वक़्त तक महफ़ूज (सुरक्षित) जगह में रखा तो हमने एक अन्दाज़ा मुक़र्रर किया। हम क्या ही अच्छा अन्दाज़ा तय करने वाले हैं।" **(मुर्सिलात–20 से 23)** 'क़ज़ा व क़द्र' दोनों का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ने फ़रमाया "कहो–क्या तुम उस अल्लाह का इन्कार करते हो जिसने ज़मीन को दो दिन में पैदा किया और दूसरों को उसके बराबर का ठहराते हो? वह तो सारे

जहान का रब है। उसने ज़मीन पर पहाड़ जमा दिये व उसमें बरकत रख दी और चार दिनों में उसमें ठीक अन्दाज़े से खाने–पीने की चीज़ें रख दीं। फिर उस आसमान की तरफ़ तवज्जोह की जो उस वक़्त धुआं था। दो दिन में सात आसमान बना दिये और हर आसमान में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ वहय भेज दी। दुनिया वाले आसमान को चिराग़ों से सजाया और हिफ़ाज़त का पूरा इन्तेज़ाम किया। यह अन्दाज़ है एक ज़बरदस्त इल्म वाली हस्ती का।" **(फ़ुसिलत–आयत–9 से 12)** रसूल सल्ल. का इर्शाद है "अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पहले मख़लूक़ात की तक़दीर लिख दी थी।" **(मुस्लिम–6748–तिर्मिज़ी–1963)**

इस लिखने से मुराद वह इल्म है जो अल्लाह की ज़ात के साथ क़ायम है। इब्ने तीमिया रह. कहते हैं "जम्हूर अहले सुन्नत जो तक़दीर को मानते हैं, इस बात के क़ायल हैं कि इन्सान अमल करने वाला है और वह क़ुदरत व ताक़त रखता है।"

(तक़दीरों का लिखा जाना)

तक़दीरों का लिखा जाना क़ुरआन व हदीस से साबित है। क़ुरआन में है "कहो! हमारा सामना उससे हो कर रहेगा जो अल्लाह ने हमारी तक़दीर में लिख रखा है।" **(तौबा–आयत–51)** "कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो ज़मीन में या तुम पर आ पड़े मगर उसको हमने पैदा करने से पहले एक किताब में लिख रखा है।" **(हदीद–22)** "ग़ैब की चाबियां उसी के पास हैं। उन्हें उस (अल्लाह) के सिवा कोई नहीं जानता। ज़मीन पर व पानी में जो कुछ है, सब का उसे पता है। उसके अलावा किसी को इसका इल्म नहीं। ज़मीन की तह में कोई दाना और कोई खुश्क व तर चीज़ ऐसी नहीं जो खुली किताब (लोहे महफ़ूज़) में लिखी न हो।" **(अनआम–59)** और फ़रमाने रसूल सल्ल. है "अल्लाह ने मख़लूक़ात की तक़दीरें ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पचास हज़ार (50000) साल पहले लिख दी थीं" **(मुस्लिम–6748 & तिर्मिज़ी–1963)** "अल्लाह ने सबसे पहले क़लम को पैदा किया और उससे कहा लिख तो उस वक़्त से क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला था, लिखा गया।" **(अहमद & इब्ने हिब्बान)** इस लिखे जाने का तअल्लुक़ ग़ैब से है और वैसा ही है जैसी अल्लाह की शान है। अल्लाह उन सब बातों को जो हो चुकीं, जो होंगी और जिस तरह होंगी को जानता है।

लेकिन अल्लाह का जानना किसी इन्सान को मजबूर नहीं करता कि वह वैसा ही करे, बल्कि इन्सान अपने अमल के लिए आज़ाद है। अगर किसी शख़्स को कोई मुसीबत पहुंचे तो वह अपनी ताक़त भर उससे निजात पाने की कोशिश करे तक़दीर का बहाना बना कर बैठा न रहे। हां अगर कोशिश के बावजूद वह मुसीबत से छुटकारा न पा सके तो माज़ूर है। वह इसे अल्लाह की तक़दीर समझे और सब्र करे।

जो लोग 'अक़ीदा ए तक़दीर' में ग़लू करते हैं, वह इस हदीस को दलील के तौर पर पेश करते हैं –"आदम अलैहि. व मूसा अलैहि. की मुलाक़ात हुई तो मूसा ने कहा–आप तमाम इन्सानों के बाप हैं। आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंक दी। हर चीज़ के नाम सिखाए। फिर क्यों आपने ख़ुद को और हमें जन्नत से निकलवा दिया? आदम ने जवाब दिया कि तुम मूसा हो अल्लाह के रसूल। तुम से अल्लाह ने बात की और तुमने तौरात पढ़ी है। क्या उसमें यह नहीं लिखा है कि आदम ने अपने रब की नाफ़रमानी की और भटक गया? यह बात मेरी पैदाइश से चालीस साल पहले लिख दी गई थी। मूसा ने कहा जी हां! आदम बोले फिर ऐसी बात पर मुझे क्यों मलामत करते हो जो अल्लाह ने मेरी तक़दीर में लिख दी थी। इस तरह बहस में आदम मूसा पर ग़ालिब आ गए।" **(बुख़ारी–6614&मुस्लिम–6742&अबुदाऊद–4701)** यह रिवायत मुश्किल

अहादीस में से है। इब्ने तीमिया रह. ने 'रिसाला अल एहतेजाज बिल क़द्र में लिखा कि इस रिवायत की वजह से लोगों के तीन गिरोह बन गए। एक गिरोह इस हदीस का इन्कार करता है। उनके ख़्याल में यह बात अम्बिया अलैहि. की तालीमात के ख़िलाफ़ है। यह हो ही नहीं सकता कि कोई नबी तक़दीर को अल्लाह की ना फरमानी का उज़्र बनाए। दूसरे गिरोह ने इस की यह तावील की कि आदम मूसा पर इसलिए ग़ालिब आए (भारी पड़े) क्योंकि वह बाप हैं तो कुछ ने कहा कि आदम के तौबा कर लेने के बाद उन्हें मलामत करना मुनासिब नहीं। कुछ का कहना है कि पता नहीं यह मुलाक़ात रूहों की थी जो दुनियां में हुई या क़यामत के दिन होगी जब क़ब्रों से उठाया जाएगा? तीसरे गिरोह ने अल्लाह के और उसके रसूल सल्ल. के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने वालों की बेगुनाही के लिए इस हदीस को ढ़ाल बना लिया है। जब उनसे कोई गुनाह होता है तो कहते हैं कि हमारी तक़दीर में यही लिखा था। लेकिन अगर उन्हें किसी से नुक़्सान या तक्लीफ़ पहुंचे और वह यही कहे कि मेरी और आपकी तक़दीर में यही लिखा है तो वह उसका यह उज़्र क़ुबूल नहीं करते।

इब्ने तीमिया रह. कहते हैं कि "आदम हालात की हक़ीक़त से अन्जान नहीं कि वह तक़दीर को बहाना बनाएं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वह इब्लीस ही था जिसने उन्हें गुनाह में मुब्तिला किया। जिस पेड़ से उन्हें रोका गया था, उसके खानें के लिए इब्लीस ही ने उकसाया--बहकाया था।

इर्शादे बारी तआला है "उनके रब ने उन्हें पुकारा--क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से नहीं रोका था? और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों (आदम व हव्वा) ने अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब! हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू ने हमें माफ़ नहीं किया और हम पर रहम न किया तो हम नुक़्सान उठाने वालों में से हो जाएंगें" **(आराफ़--आयत--22--23)** अगर तक़दीर को बहाना बनाना फ़ायेदमन्द होता तो आदम अलैहि. न तो तौबा करते और न माफ़ी मांगते।

मूसा के मुक़ाबले में आदम की दलील यह थी कि अल्लाह पहले से जानता था कि आदम शैतान के बहकावे में आ कर अपनी ख़्वाहिश से उस ममनुआ पेड के फल को खाएंगे। फिर यह कैसे मुमकिन था कि अल्लाह का इल्म ग़लत साबित होता?

इमाम ख़ताबी रह. कहते हैं "कुछ लोग क़ज़ा व क़द्र का यह मतलब समझते हैं कि अल्लाह ने तक़दीर में जो लिख रखा है उस पर अमल करने के लिए इन्सान मजबूर है। 'आदम बहस में मूसा पर ग़ालिब आ गए' का मतलब भी यही लेते हैं। हालांकि यह सोच ग़लत है बल्कि इसका मतलब सिर्फ़ यह बतलाना है कि अल्लाह को लोगों के अफ़आल, उनकी कमाई और उनके गुनाहों में पड़ने का पहले से इल्म है। वह जानता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से यह सब करेंगे। उनको ना इख़्तियार होने ही की वजह से उनकी पकड़ होगी।

इब्ने मसऊद रज़ि. से मरवी इस रिवायत से भी तक़दीर के बारे में ग़लत करने वाले दलील पकड़ते है "तुम में से हर एक अपनी मां के पेट में 40 दिन तक एक नुत्फ़े की शक्ल में रहता है। फिर इतने ही दिन जमे हुए खून की हालत में रहता है। फिर इतने ही दिन लौथड़े की शक्ल में रहता है। फिर अल्लाह उसके पास एक फ़रिश्ता भेजता है चार बातों के लिखने का हुक्म देकर उसकी उम्र, रिज़्क, अमल और ख़ुश नसीब या बदनसीब होना। उस जात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद सल्ल. की जान है। तुम में से कोई शख़्स जन्नतियों वाले काम करता है। यहां तक कि उसके और जन्नत के बीच एक हाथ का फ़ासला रह जाता है। फिर उस पर तक़दीर का लिखा ग़ालिब आ जाता है और वह दोज़ख़ियों जैसा अमल

करने लगता है और दोज़ख में चला जाता है। इसी तरह कोई शख़्स सारी ज़िन्दगी दोज़ख वालों सा अमल करता है। यहां तक कि उसके और दोज़ख के बीच में एक हाथ की दूरी रह जाती है। कि उस पर तकदीर का लिखा गालिब आता है और वह जन्नतियों जैसा अमल करने लगता है और आखिर में जन्नत में दाख़िल हो जाता है।" (मुस्लिम–6723 बुख़ारी–3332 &इब्ने माजा–76)

तकदीर की हकीकत से अन्जान लोग इस हदीस को दलील बना कर कहते हैं कि नेकी व बदी के काम करने के लिए इन्सान मजबूर है। क्योंकि खुशनसीबी या बदनसीबी तो तब ही लिख दी गई जब वह मां के पेट में था। जबकि हकीकत यह है कि तकदीर का लिखा जाना दो तरह से है। एक लिखा जाना तो यह है कि अल्लाह को तमाम चीज़ो का इल्म उनके वजूद में आने से पहले ही था। वह अपने पैदा किये लोगों के हालात को जानता है। जबकि वो मांओं के पेट में होते हैं। उस वक़्त भी उसे पता होता है कि वो आइन्दा (भविश्य में) क्या करने वाले हैं? इसमें तो किसी किस्म की तब्दीली या बदलाव नहीं होता और इसे 'अज़ली नोशता' कहते हैं। अल्लाह के जान लेने का मतलब हरगिज़ यह नहीं है कि इन्सान भलाई या बुराई के काम करने के लिए मजबूर कर दिये गए हैं बल्कि वोह अपने अमल के लिए आज़ाद हैं। यह उनकी अपनी कमाई है जिसका बदला उन्हें मिलेगा। जैसा कि इर्शादे बारी है "जो नेक अमल करेगा, उसका फायदा उसी के लिए है और जो बुरे काम करेगा उनका नुक्सान भी उसी को होगा। तुम्हारा रब अपने बन्दों के हक में ज़ालिम नही है।" (फुसिलत–आयत–46) रहा वह नोशता या तकदीर जो फरिश्ता (हमल के चार महीने पूरे होने पर) अपने हाथ से लिखता है तो उसमें बदलाव होता है। मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है बाकी रखता है। रही यह रिवायत कि बन्दा जन्नत वालों के से अमल करते करते तकदीर के गालिब आ जाने की वजह से जहन्नमियों जैसा अमल करने लगता है और जहन्नम में चला जाता है। इसी तरह जहन्नमियों के से अमल करता रहता है मगर आखिरी वक़्त में तकदीर के गालिब हो जाने पर जन्नत वालों सा अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो इसमें तकदीर के गालिब आने का मतलब यह है कि किसी शख़्स का खातमा (अंत) किस हालत में होगा? इस बात का इल्म पहले से ही अल्लाह को है।

यह ऐसा ही है जैसे कोई शख़्स जिन्दगी भर सच्चा पक्का मुसलमान रहे और ज़िन्दगी के आखिर में अल्लाह के दीन से काफिर हो जाए या कोई ज़िन्दगी भर काफ़िर रहे और आखिरी वक़्त में अल्लाह के दीन को कुबूल करले। अल्लाह के इल्म में होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह किसी को मजबूर करता है अपने इल्म के मुताबिक अमल करने के लिए। गज़वा ए उहद में असीरम रज़ि. ने सुबह में मुश्रिकीने मक्का की हिमायत में जंग की फिर आप सल्ल. की खिदमत में हाजिर हो कर इस्लाम कुबूल कर लिया और इस्लाम की हिमायत मे लड़ने लगे। हत्ता कि इसी हालत मे शहीद हो गए। इस पर नबी सल्ल. ने फरमाया "अमल थोड़ा किया और अज्र बहुत पाया" अबु सईद खुदरी रज़ि. से मरवी रिवायत में है कि "कोई शख़्स मुस्लिम घराने में पैदा होता है और सारी ज़िन्दगी ईमान वाला रहता है लेकिन मौत से पहले इस्लाम से फिर जाता है और उसकी मौत कुफ्र की हालत मे होती है और दूसरा शख़्स काफिर घराने में पैदा होता है. ज़िन्दगी कुफ्र ही की हालत मे गुज़ारता है। मगर आखिरी वक़्त मे इस्लाम कुबूल कर लेता है और उसकी मौत ईमान की हालत में आती है। यह कुफ्र और यह ईमान इनका अपना अमल है जिसे इन्होंने अपनी मर्जी से किया है और किसी भी मामले में असल चीज़ उसका खातमा (अंत) है।

इर्शादे बारी है "तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से साफ-साफ दिखाई देने वाली बात आ चुकी है जो भी आख खोल कर उसे देखेगा, खुद अपना भला करेगा और जो अन्धा बना रहा तो उसका अन्धापन उसी को नुक्सान देगा।" **(अनआम-आयत-105)** इब्लीस को पैदा करने का मकसद ही यह है कि लोगों को आज़माया जाए। कयामत के दिन अल्लाह फ़रमाएगा "ऐ मेरे बन्दों! यह तुम्हारे आमाल है, जिन्हें मैं देखता रहा हूँ अब इनका पूरा-पूरा बदला मैं तुम्हें दूंगा। लिहाज़ा जो कोई भलाई को पाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो कोई दूसरी चीज़ पाए, वह अपने आप ही को मलामत करे।"

तकदीर को उज़्र बना लेना गलत है:- तकदीर के बारे में अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है वह जो चाहता है करता है। उसने जो चाहा हुआ और जो नहीं चाहा नहीं हुआ। कोई तकदीर को बहाना बनाएगा तो अल्लाह उसे रद्द कर देगा। इसलिए कि तकदीर पर ईमान लाने का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह ने अपना फैसला इन्सानों पर थोप दिया है बल्कि दुआ, सदका, दवा, एहतियात वगैरह असबाब से तकदीर टल भी सकती है। अगर दुआ व दवा तकदीर को न बदलती तो आप सल्ल. दुआ करने व इलाज करवाने की तालीम हरगिज़ न देते।

सलमान रजि. से मरवी रिवायत में है कि "तकदीर को दुआ ही टाल सकती है, उम्र में बढ़ोत्तरी नेकी ही के ज़रिये हो सकती है और सदका बुरी मौत से बचाता है।" **(तिर्मिज़ी-1949 &इब्ने माजा-90)**

कुछ लोगों का तकदीर को बहाना बनाकर दुआ न करना और यह कहना कि दुआ करो या न करो, जो होना है वह हो कर रहेगा इसलिए गलत है क्योंकि दुआ अल्लाह को पसन्द है, दुआ इबादत है बल्कि इबादत की रूह है और मोमिन का हथियार है।

आप यूं समझिए कि जो बातें अल्लाह जानता है या उसके इल्म में है उनमें तो कोई बदलाव नहीं होता। मगर वह नोशता जिसे फ़रिश्ता लिखता है या जो लौहे महफूज में लिखा है उसमें सुन्नते इलाही के मुताबिक तब्दीली हो सकती है। जैसे उमर रजि. की यह दुआ कि "ऐ अल्लाह! अगर तूने लौहे महफूज में मुझे बद नसीब लिखा है तो उसे मिटा दे और खुश नसीब लिख कि तू जो चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है बाकी रखता है, तेरे पास ही उम्मुल किताब है।" अम्बिया अलैहि. का दीन भी यही था कि वोह अल्लाह के फैसले और तकदीर (कज़ा व कद्र) पर ईमान रखने के साथ साथ अमल भी करते थे। रसूल और उनकी इताअत करने वाले तकदीर के ज़रिये तकदीर से लड़ते थे और कहते थे कि तकदीर अमल से नहीं रोकती इसलिए तकदीर पर भरोसा करके वोह बैठे नहीं रहते थे।

खुद रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "अमल करो। क्योंकि जिस शख्स को जिस काम के लिए पैदा किया गया है, उसके लिए वह काम आसान कर दिया गया है।" **(मुस्लिम-6732 & अबुदाऊद-4709)** जब हज़रत उमर रजि. के सामने एक चोर को लाया गया तो यह पूछे जाने पर कि तूने चोरी क्यों की? उसने कहा अल्लाह की तकदीर ने मुझे चोरी करने पर आमादा किया (यह सुन कर) उमर रजि. ने कहा मैं भी तकदीरे इलाही के मुताबिक तुम्हारा हाथ काटता हूँ। फिर आप के हुक्म से उसका हाथ काट दिया गया।

कोई भी इन्सान किसी नुक्सान की सूरत में जो उसे उसके घर वालों या उसके माल को पहुचे, तकदीर का लिखा मान कर चुप नहीं रहता। अगर कोई शख्स किसी पर ज्यादती करता है, उसे मारता है या उसका माल छीन लेता है या उसकी बे इज़्ज़ती करता है और पूछने पर कहता है कि तकदीर ने यह काम

करने के लिए मुझे मजबूर किया तो उसका यह उज्र (बहाना) कुबूल नहीं करता कि अल्लाह की नाफरमानी और हराम कामों के करने के मामले में तकदीर को उज्र बनाना कैसे कुबूल किया जा सकता है? कुसूर 'कज़ा व कद्र' का नहीं बल्कि उस शख्स का अपना है।

यह दवाएं जिनसे हम इलाज करते हैं, यह दम जो हम मरीज़ पर करते हैं या वोह एहतियाती कोशिशें जिन्हें हम अपनाते हैं भी तकदीरे इलाही में शामिल है। इसलिए कि अल्लाह ने ज़राए और नताइज दोनों को पैदा किया है और एक दूसरे का सबब बनाया है।

तकदीर पर भरोसा करके बैठ जाना नुक्सान देह है:– कितने ही लोग अपने नाकारा पन को तकदीर की आड़ में छिपाते हैं अगर उन्हें नमाज़ न पढ़ने पर टोका जाए या नशेवाली चीज़ों के इस्तेमाल से मना किया जाए तो कह देते हैं कि हमारी तकदीर में यही लिखा है वो यह भूल जाते हैं कि सुस्ती व लापरवाही का नतीजा महरूमी है। अल्लाह ने इन्सान में सुनने, देखने और समझने की कूवतें रखी हैं जिनसे वह फायेदा उठाता है अपनी सेहत व जिस्म की हिफाजत करता है। रसूल सल्ल. ने भी बीमार होजाने पर इलाज कराने व दवा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है।

इब्ने तीमिया रह. कहते हैं 'असबाब' को इख्तियार करने की बुराई करना शरीअत पर एतेराज़ करना है और असबाब का इस्तेमाल न करना अक्ल की खराबी है। क्योंकि यह चीज़ दीन में दाखिल हैं। ऐसा शख्स जो अक्ल से काम नहीं लेता वह वक्त बर्बाद करता है और जब मौका हाथ से निकल जाता है तो तकदीर को इल्ज़ाम देने लगता है।

मुसलमान तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने जो कूवत और इख्तियार उन्हें दिया है, उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा। जिन बातों के करने का हुक्म उन्हें दिया है या जिन बातों के करने से उन्हें रोका है के बारे में उनसे पूछा जाएगा। अगर उन्होंने भलाई की राह अपनाई तो वोह फायदे में रहेंगे। और अगर बुरे रस्ते चले यानि अल्लाह का और उसके रसूल सल्ल. का कहा न माना तो नुक्सान उठायेंगे।

दुनिया सिर्फ वक्ती फायदे की जगह है और आखिरत हमेशगी का घर है। हर शख्स को उसके आमाल का बदला मिलेगा। अगर आमाल अच्छे किये तो अच्छा बदला और बुरे किये तो बदला भी बुरा ही होगा।

अपने अकीदे की सेहत ही की वजह से मुसलमान पहली तीन सदियों में मैदाने जंग में बिना किसी खतरे की परवाह किये कूद पड़ते थे। 'कज़ा व कद्र' पर ईमान होने की वजह से उन्हें यकीन था कि कोई नफ्स अपना रिज्क पूरा किये बगैर नहीं मरता। इसलिए कम सादाद में होने के बावजूद वोह बड़े और ताकतवर लश्करों से टकरा जाते थे।

अल्लाह से दुआ है कि वह हमारी खताओं व गुनाहों से दर गुज़र फरमाए। हमें तकदीर की बहस में पड़ने से बचाए और अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। आमीन!

माखूज
कज़ा व कद्र
अब्दुल्लाह बिन जैद अल महमूद रह.

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
9214836639, 9887239649